ऑन लाईन नं. RCMS 2014/00047

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 63/2014

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. नायब तहसीलदार चूनावढ़।
2. अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. अमनदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चूनावढ़ दिनांक 22.07.1987 का जिसकी रूह से इन्तकाल तस्दीक किया जावें बमुराद मनसुख है।

उपस्थित :–

1.श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री गुरजीत सिंह वानर , राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

3.रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: आदेश :: दिनांक :–27.01.2026

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता दलीप सिंह को बतौर नान क्लेमर्मेंट पर चक 29 जीजी तहसील श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर–पुराना 69 नया–34 में 25.00 बीघा रकबा अलाट किया गया था। अलाटमेंट पर्ची अपीलांट के पिता के नाम की गई तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रकबा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज किया गया तथा तमाम किश्त भी अपीलांट के पिता द्वारा जमा की गयी है। भारत सरकार द्वारा अलाटी और भारत सरकार के बीच जो ईकरारनामा किया गया वह दलीप सिंह के नाम जारी किया गया। दलीप सिंह ने तमाम जमीन की वसीयत अपने जीवनकाल में अपीलांट तथा अपीलांट के भाई महेन्द्र सिंह के हक में की थी। महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है। वसीयत के आधार पर तमाम जमीन का इन्तकाल अपीलांट व रेस्पोडेंटान के नाम किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा तौर पर इन्तकाल कर दिया। अब अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को लिखा तो पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त रकबा का इन्तकाल पहले ही हो चुका है, इसकी जानकारी दिनांक 08.10.2014 को हुई, उसी समय नकल की दरखास्त दी, नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है, जो निम्नलिखित आधार पर पेश है:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि हुक्म अदालत महतात का गैरकानूनी है वह दोबारा गौर मिसल के है। नकल फैसला शामिल अपील हाजा है।
2. यह कि अपीलांट के पिता दलीप सिंह को चक 29 जीजी मुरब्बा नम्बर 34 में 25.00 बीघा रकबा अलाट किया गया था। दलीप सिंह ने अपने दो लड़को के नाम वसीयत कर दी थी वह वसीयत के आधार पर इन्तकाल अपीलांट के नाम किया जाना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया यदि अपीलांट को सुना जाता तो अपीलांट अपनी वसीयत प्रस्तुत करके अपना पक्ष प्रस्तुत करता, मगर अधीनस्थ न्यायलाय ने इस पर गौर नहीं किया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा अपीलांट तथा अपीलांट के भाई के पास चला आ रहा था, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा की जांच नही की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि नायब तहसीलदार को इन्तकाल तस्दीक करने का अधिकार नहीं था क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल 45 दिन तक नहीं किया जाता तो नायब तहसीलदार इन्तकाल कर सकता है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अदालत महतात का आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि इन्तकाल करने से पूर्व किसी भी नियम की पालना नहीं की गयी है। इसलिए अदालत महतात का आदेश निरस्त करने योग्य है।
7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया। अपीलांट बीमार रहता है। अब वसीयत के आधार पर इन्तकाल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो पटवारी हल्का ने दिनांक 08.10.2014 को बताया कि पूर्व में इन्तकाल हो चुका है, पता चलते ही नकल की दरखास्त दी, नकल मिलते ही अपीलांट अपील पेश कर रहा है जो जानकारी से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील पेश करके निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावें एवं इन्तकाल संख्या–125 दिनांक 22.07.1987 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड एवं उभयपक्ष को तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 नायब तहसीलदार चूनावढ तारीख पेशी दिनांक 08.12.2014 को उक्त अपील से सम्बन्धित अपना जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. अस्वीकार है। अपीलाधीन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सनद के आधार पर दर्ज ईन्तकाल नम्बर 125 की स्वीकृति के रूप में जारी किया गया है, जो पूर्णतया कानूनी है।
2. अस्वीकार है। अपीलान्ट द्वारा कोई वसीयत विचारार्थ पेश नहीं की गई थी तथा अपील के साथ कोई वसीयत पेश नहीं की गई है। ईन्तकाल संख्या 125 दर्ज से पूर्व आवंटी गैरखातेदार होने से वसीयत करने का अधिकारी नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी वसीयत अगर की भी गई होती तो गैरकानूनी होती।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. अस्वीकार है। सनद का नामान्तरकरण हुक्मन होने से अपीलांट को सुनने के लिए नोटिस जारी करने की कानूनी जरूरत नहीं थी। नामान्तरकरण में आवंटी का नाम सनद में दर्ज के अनुसार दी दर्ज किया गया था जिस पर आवंटी ने कोई एतराज पेश नहीं किया था।
4. अस्वीकार है। गैरखातेदारी से खातेदारी का इन्तकाल सनद के अनुसार दर्ज किया जाने के कारण मौका कब्जा जांच की आवश्यकता नहीं थी।
5. अस्वीकार है। गैरखातेदारी नामान्तरकरण के फैसले का क्षेत्राधिकार सिर्फ सम्बन्धित (राजस्व अधिकारी) का होता है जो उप तहसील क्षेत्र के नायब तहसीलदार का होने से इन्तकाल ग्राम पंचातय के क्षेत्राधिकार में नहीं होता है।
6. अस्वीकार है इस बिन्दु का कथन कानूनी रूप से सही नहीं है।

बिन्दु संख्या 7 से 10 कानूनी बिन्दू है।

उक्त जबाब की रोशनी में अपील मय खर्चा काबिल खारिज है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता दलीप सिंह को बतौर नान क्लेमेंट चक 29 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर–पुराना 69 नया–34 में 25.00 बीघा रकबा अलाट हुई थी। अलाटमेंट पर्ची अपीलांट के पिता के नाम थी एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रकबा भी अपीलांट के पिता के नाम दर्ज था। अलाटमैंट भूमि की तमाम किश्त भी अपीलांट के पिता द्वारा जमा करवाई गई थी। भारत सरकार द्वारा अलाटी और भारत सरकार के बीच जो ईकरारनामा किया गया वह अलाटी दलीप सिंह के साथ किया गया। दलीप सिंह ने चक 29 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर–पुराना 69 नया–34 की कुल 25.00 भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपीलांट तथा अपीलांट के भाई महेन्द्र सिंह के हक में कर थी। महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है। वसीयत के आधार पर तमाम जमीन का इन्तकाल अपीलांट व रेस्पोडेंटान के नाम किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा तौर पर इन्तकाल संख्या 125 दिनांक 22.07.1987 को कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार को इन्तकाल तस्दीक करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं था क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल 45 दिन तक नहीं किया जाता तो नायब तहसीलदार इन्तकाल कर सकता है, मगर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चूनावढ ने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.07.1987 निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सनद के आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 125 दिनांक 22.07.1987 दर्ज किया गया है, जो पूर्णतया कानूनी है। नामान्तरकरण संख्या 125 दर्ज से पूर्व आवंटी गैरखातेदार होने से वसीयत करने का अधिकारी नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी वसीयत अगर की भी गई है तो गैरकानूनी है। सनद का नामान्तरकरण सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पालना में दर्ज होने से अपीलांट को सुनने के लिए नोटिस जारी करना कानूनी रूप

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

से जरूरत नहीं होती। नामान्तरकरण में आवंटी का नाम सनद में दर्ज के अनुसार दी दर्ज किया गया था जिस पर आवंटी ने कोई एतराज पेश नहीं किया था। गैरखातेदारी से खातेदारी का इन्तकाल सनद के अनुसार दर्ज किया जाने के कारण मौका कब्जा जांच की आवश्यकता नहीं है। गैरखातेदारी नामान्तरकरण के फैसले का क्षेत्राधिकार सिर्फ सम्बन्धित (राजस्व अधिकारी) का होता है जो उप तहसील क्षेत्र के नायब तहसीलदार का होने से इन्तकाल ग्राम पंचातय के क्षेत्राधिकार का नही है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील मय खर्चा काबिल खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या–125 दिनांक 22.07.1987 जिला पुनर्वास एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर सनद/पट्टा संख्या 2487 दिनांक 02.01.1987 की पालना में स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलांट के पिता स्व. दलीप सिंह द्वारा जो वसीयत की गई है वह दिनांक 12.11.1992 को की गई, जबकि अपीलाधीन आदेश नामान्तरण संख्या 125 दिनांक 22.07.1987 को ही स्वीकृत किया जा चुका था, इसलिए उक्त वसीयत निष्प्रभावी/निराधार है। जहां तक क्षेत्राधिकार का बिन्दु है कि इन्तकाल तस्दीक 45 तक स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को एवं 45 दिन बाद नायब तहसीदार को है, सही नहीं है क्योंकि किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को ही है। अतः अपील अपीलार्थी बिना तथ्यों एवं बिना किसी आधार के होने के कारण खारिज की जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 125 दिनांक 22.07.1987 को बहाल रखा जाता है आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner